



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042026-271938  
CG-DL-E-21042026-271938

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]  
No. 112]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
सार्वजनिक सूचना  
नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2026  
सं. 04/2026-27

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट 4ख में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/261/एएम18/पीसी-4.— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट 4ख के अंतर्गत भाग क और ख में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

क. सोना और चांदी दोनों के आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों की सूची दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी है और दिनांक 31.03.2029 तक वैध है।

क्रम सं.	बैंक का नाम
1.	एक्सिस बैंक लिमिटेड
2.	बैंक ऑफ इंडिया
3.	इयूश बैंक

4.	फेडरल बैंक लिमिटेड
5.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
6.	इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड
7.	आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड
8.	इंडसइंड बैंक लिमिटेड
9.	इंडियन ओवसीज़ बैंक
10.	कोटक महिंद्रा बैंक
11.	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
12.	पंजाब नेशनल बैंक
13.	आरबीएल बैंक लिमिटेड
14.	भारतीय स्टेट बैंक
15.	यस बैंक लिमिटेड

ख. केवल सोने के आयात के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों की सूची दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी है और 31.03.2029 तक वैध है।

क्रम सं.	बैंक का नाम
1.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
2.	एसबीईआर बैंक

**इस अधिसूचना का प्रभाव:**

प्रक्रिया पुस्तक 2023 के परिशिष्ट 4ख के अंतर्गत सोना/चांदी के आयात के लिए प्राधिकृत बैंकों की सूची को अद्यतन किया गया है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 17th April, 2026

**No. 04/ 2026-27**

**Subject:** Amendment in Appendix 4B of Handbook of Procedures, 2023-reg.

**F. No. 01/94/180/261/AM18/PC-4.**— In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Part A and B under Appendix 4B of Handbook of Procedure, 2023:

**A. LIST OF BANKS AUTHORISED BY RESERVE BANK OF INDIA TO IMPORT BOTH GOLD AND SILVER WITH EFFECT FROM 01.04.2026 AND VALID UPTO 31.03.2029.**

Sr. No.	Name of bank
1	Axis Bank Limited
2	Bank of India
3	Deutsche Bank
4	Federal Bank Limited
5	HDFC Bank Limited
6	Industrial and Commercial Bank of China Limited
7	ICICI Bank Limited
8	IndusInd Bank Limited
9	Indian Overseas Bank
10	Kotak Mahindra Bank Limited
11	Karur Vysya Bank Limited
12	Punjab National Bank
13	RBL Bank Limited
14	State Bank of India
15	Yes Bank Limited

**B. LIST OF BANKS AUTHORISED BY RESERVE BANK OF INDIA TO IMPORT ONLY GOLD FOR WITH EFFECT FROM 01.04.2026 AND VALID UPTO 31.03.2029.**

Sr. No.	Name of bank
1	Union Bank of India
2	SBER Bank

**Effect of this Public Notice:**

List of banks authorized to import gold/silver under Appendix 4B of Handbook of Procedures, 2023 has been updated.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.